1175/09

595254

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Sumair Rashid
469

SALE DEED # 10 E

बयनामा

विक्रीत रकबा 0.322 हैक्टेयर
दर 8,00,000/– प्रति एकड़
ग्राम – हरथला एहतमाली ब्लाक – मुरादाबाद
बयनामा रू0 7,70,000/–
मालियत रू0 7,70,000/– स्टाम्प रू0 54,000/–

हम कि एवन होम्स प्राईवेट लिमिटेड, एम–115, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली जोकि कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का) के अधीन दिनांक 23.05.2000 को पंजीकृत एक निगमित निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–42, अबुल फजल एन्कलेव, पार्ट–2, ठोकर नं0–7, शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली– 110025 है, द्वारा डायरेक्टर निशाद (निशात) मंसूर पत्नी श्री मौहम्मद मंसूर निवासी बाईपास, पंडितनगला, शहर व जिला मुरादाबाद एवं

S. RASHID

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

595257

M B D

(2)

मरकरी होम्स प्राईवेट लिमिटेड, डी–821, न्यू फ्रैन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली जोकि कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का) के अधीन दिनांक 08.08.2000 को पंजीकृत एक निगमित निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–42, अबुल फजल एन्कलेव, पार्ट–2, ठोकर नं0–7, शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली– 110025 है, द्वारा डायरेक्टर अहमद जकरिया पुत्र श्री मौहम्मद राशिद निवासी बाईपास, पंडितनगला, शहर व जिला मुरादाबाद जिसमें एवन होम्स प्राईवेट लिमिटेड, एम–115, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली की बैठक दिनांक 20.02.2009 में पारित प्रस्ताव के अनुसार डायरेक्टर निशाद (निशात) मंसूर पत्नी श्री मौहम्मद मंसूर को एवं मरकरी होम्स प्राईवेट लिमिटेड, डी–821, न्यू फ्रैन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली की बैठक दिनांक 20.02.2009 में पारित प्रस्ताव के अनुसार डायरेक्टर अहमद जकरिया पुत्र श्री मौहम्मद राशिद को उक्त बयनामा निष्पादित व पंजीकृत कराने हेतु अधिकृत किया गया है।

एवं

सुमैर राशिद पुत्र मौहम्मद उमर फारूक निवासी बाईपास पंडितनगला शहर व जिला मुरादाबाद — क्रेता द्वितीय पक्ष हैं।

S. RASHID

N mansoor

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20 FEB 2009 E 836975

(3)

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी रकवई 0.322 हैक्टैयर जिसका सम्पूर्ण विवरण बयनामें के अन्त में दिया गया है। जिस पर विक्रेतागण–प्रथम पक्ष बज़रिये खरीद बयनामा इकरारी सन्तोषा क्राफ्ट्स, जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय, मुरादाबाद में बही नं0 1 जिल्द 4817 पृष्ठ संख्या–177/210 क्रम संख्या – 1734 पर दिनांक 07–04–2005 को हुआ है एवं बयनामा इकरारी रमश सिंह यादव, जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय, मुरादाबाद में बही नं0 1 जिल्द 3276 पृष्ठ 103/116 क्रम सं0 1836 पर दिनांक 28–02–01 को हुआ है, एवं बयनामा इकरारी रमेश सिंह यादव, जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय, मुरादाबाद में बही नं0 1 जिल्द 329 पृष्ठ 203/216 क्रम सं0 2306 पर दिनांक 17–03–01 को हुआ है एवं एडवांस एज़ रियलटर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0 लि0, जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय मुरादाबाद में बही नं0 1 जिल्द 4817 पृष्ठ 123/132 क्रम सं0 1729 पर दिनांक 07–04–2005 को हुआ है, बादहू दाखिल खारिज भूमिधरी मालिक व काबिज व दखील हैं। जिसकी निस्बत जुमला अख्यारात तन्हा विक्रेतागण –

N. mansoor

S. RASHID

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

20 FEB 2009

E 836974

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

प्रथम पक्ष को हासिल है। जो इस समय तक हर किस्म के बार वगैरा, लोन सरकारी, गैर सरकारी, हिबेनामा, जमानत नाना, कुर्की, नीलाम योम, हर किस्म से पाक व साफ हालत में है। जिसके पाक व साफ होने की जानकारी क्रेता–द्वितीय पक्ष को भली–भांति करा दी गई है। अतऐव बखुशी व रजामन्दी बिला किसी दबाव के, कुल आराजी काश्त, जिसका विवरण बयनामें के अंत में दिया गया है, मजकूरा बाला को मय तमामी हकूक व हदूद मय दाखिली व खारिजी मुताल्लिका मय हकूक भूमिधाराना व काश्तकाराना व दीगर जुज बिला इस्तसनाये किरी जुज हक व हिस्से के बकीमत मुबलिग रू0 7,70,000/– रूपये (सात लाख सत्तर हजार रूपये) जिसके आधे 3,85,000/– (तीन लाख पिचासी हजार) रूपये होते है में बदस्त समैर राशिद पुत्र श्री मौहम्मद उमर फारूक निवासी बाईपास पंडितनगला शहर व जिला मुरादाबाद – क्रेता (द्वितीय पक्ष) के बय कतई और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन जिसकी तफसील अन्त में दी गयी है, क्रेता–द्वितीय पक्ष से वसूल पाकर तमामी शय मुबईया अपने कब्जे व दखल मालिकाना से निकाल

S. RASHID

N. mansury

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20 FEB 2009

E 836973

(5)

कर उस पर कब्जा व दखल क्रेता–द्वितीय पक्ष का करा दिया, कब्जे मुश्तरी में दे दी विक्रेतागण–प्रथम पक्ष ने, चुनाचे कब्जा बदल अमल में आ गया। अब मुश्तरी को हक हासिल है कि वह कागजात सरकारी में व इखराज नाम विक्रेतागण–प्रथम पक्ष अपना नाम दर्ज करा ले विक्रेतागण–प्रथम पक्ष या वारिसान विक्रेतागण–प्रथम पक्ष को कुछ उज्र नहीं होगा अगर दावादेदारी किसी शरीक या सहीम या कर्ज ख्वाह के शय मुबईया का कुल या जुज कब्जे मुश्तरी से निकल जावे तो विक्रेतागण–प्रथम पक्ष वापसी जरे समन के मय हरजे व खर्चे अदालती के देनदार व जिम्मेदार अपनी जात व जायदाद से मुश्तरी को होंगे कुछ उज्र नहीं होगा।

आराजी के 200 मीटर की त्रिज्या में कोई विशेष स्थान नहीं है। विक्रेतागण अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। विक्रेतागण–प्रथम पक्ष व क्रेता–द्वितीय पक्ष के फोटो को गवाहान की पहचान पर श्री दूल्हा खां, कातिब मुरादाबाद ने प्रमाणित किये हैं। आराजी की कीमत जिलाधिकारी,

N. Mansoor

S. RASHID

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

20 FEB 2009 E 836972

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

मुरादाबाद द्वारा जारी मूल्य सूची दिनांक 04–08–08 के परिशिष्ट–1, उपखण्ड "ग" पृष्ठ संख्या–10 क्रम संख्या–85 के अनुसार 8,00,000/– रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से उक्त आराजी की सरकारी कीमत 6,40,000/– रूपये होती है एवं उक्त आराजी में 1000 पेड़ यूकेलिप्टि उम्र डेढ़ वर्ष व्यास 35 सेमी. जिनकी मालियत 130/– रूपये प्रति पेड़ से 1,30,000/– रूपये होती है। इस प्रकार कुल विक्रीत सम्पत्ति की सरकारी मालियत 7,70,000/– रूपये होती है। जिस पर नियमानुसार 54,000/– रूपये का स्टाम्प अदा किया गया है। आराजी वक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नहीं है, आराजी का कोई मुआयदाबय आदि नहीं हुआ है। आराजी कृषि भूमि है जिस पर कृषि हो रही है। विक्रीत भूमि में से कुछ भूमि रास्ते में छोड़ी गई है वह क्रेता को स्वीकार है। लिहाजा यह बयनामा कतई लिख दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे।

तफसील वसूलयाबी जरें समन–अंकन रू0 7,70,000/– (सात लाख सत्तर हजार मात्र) [illegible] चैक संख्या 000770 अंकन 246000/– रूपये एवं चैक संख्या 000771 अंकन 524000/– रूपये, दिनांकित 13.03.2009, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा, मुरादाबाद द्वारा वसूल पाये।

S. RASHID

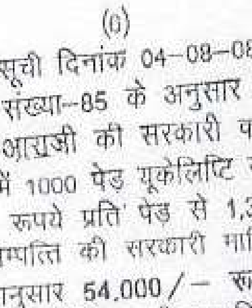

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

57AA 213922

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

विवरण विक्रीत आराजी काश्त स्थित मौजा हरथला एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद।

खाता सं0	खसरा सं0	कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	लगान	विक्रीत क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
35	479मि0	1.441	35.60	0.103
243	478	0.709	13.75	0.041
349	469मि0	0.474	11.70	0.179
कुल विक्रीत क्षेत्रफल				0.322 हैक्टेयर अर्थात 0.80 एकड़

लिहाजा यह बयनामा कतई लिख दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे।

N. mansurr

S. RASHID

आ0 आ0 आ0

गा0 गा0

यह बयनामा आज दिनॉक 13–03–09 को बइकरार मुकिरान- बमुकाम मुरादाबाद बकितावत श्री दूल्हा खां, कातिब, सीताराम अग्रवाल ने टाइप किया है।

अनुज्ञप्ति सं0 ......61 ... दिनांक 31-3-2010

नक्शा आराजी काश्त भूमि वाके ग्राम हरथला रेहतमाली
तहसील व जिला मुरादाबाद   जिल्द ग्राम 0-3226

इकरारी- सत्य हिन्दु ग्रामीण द्वारा मिशॉत मन्सूर
गवाह- मुनीर राशिद

नोट - 200 मी० की त्रिज्या में कोई विशेष स्थान नहीं है।

आराजी नं० 479मि 478, 469मि

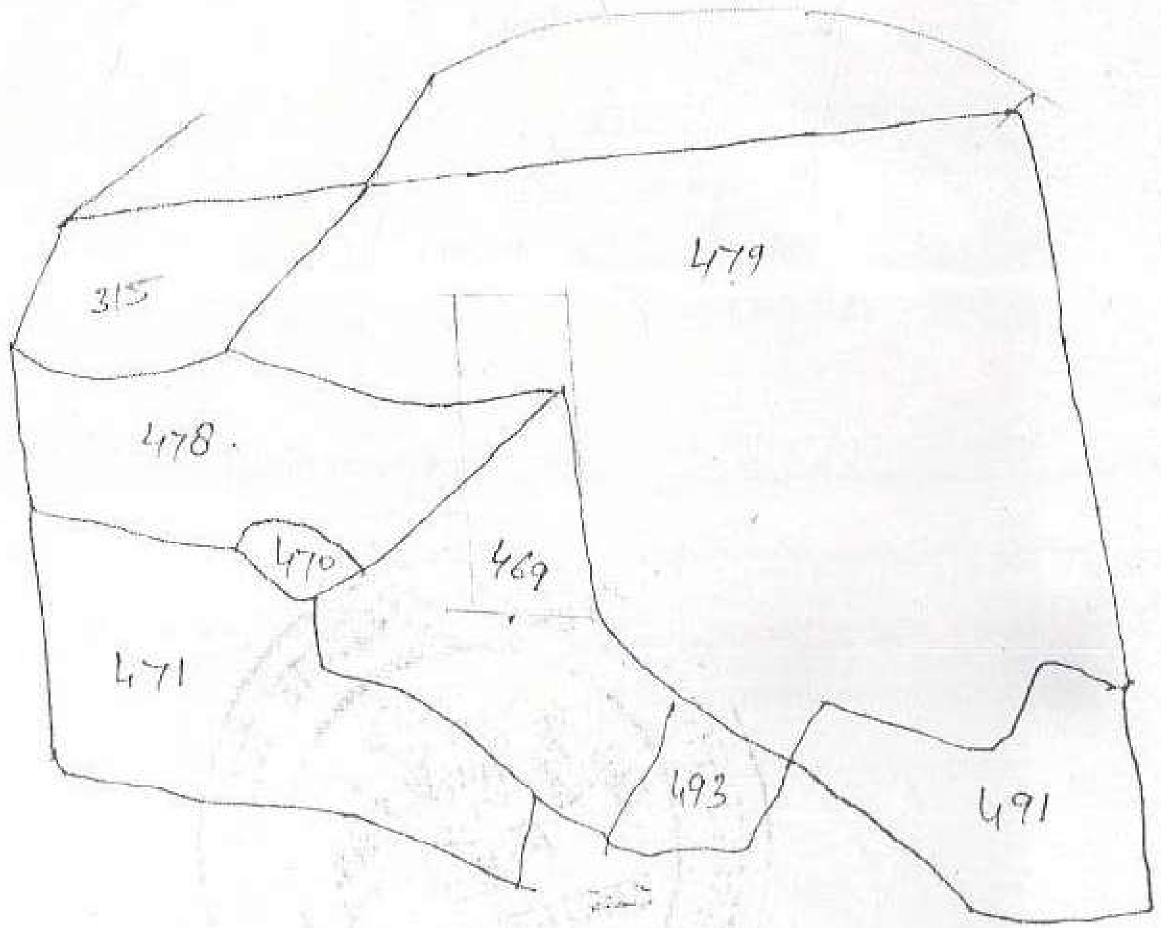

S. RASHID

(८)

क्रम संख्या ... 3 ... दिनांक ... 12/3/09

स्टाम्प अथवा/कोर्ट फीस मूल्य ... 100 ...

स्टाम्प खरीदे ... मूल्य ... के साथ भेजा

द्वारा ... [illegible]

हरीश कुमार सिंह ... स्टाम्प विक्रेता कलेक्ट्रेट मुरादाबाद, ला० नं० 158/CR.

कुल स्टाम्प मूल्य ... 100 ...

निम्नलिखित मूल्य वर्ग के स्टाम्प समाविष्ट हैं।

12/3/09

आज दिनांक **16/03/2009** को

वही सं **1** जिल्द सं **6024**

पृष्ठ सं **183** से **198** पर कमांक **1175**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

पी0 के0 यादव

उप निबन्धक (द्वितीय)

मुरादाबाद

16/3/2009

सत्यमेव जयते